समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, सिंहेश्वर मेला समिति की अध्यक्षता में दिनांक 12-01-2016 को समाहरणालय सभा कक्ष में सिंहेश्वर मेला /सिंहेश्वर महोत्सव-2016 के आयोजन हेतु बैठक की कार्यवाही।

(1) उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, सिंहेश्वर मेला समिति
2. अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा
3. उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा
5. सिविल सर्जन, मधेपुरा
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा
7. जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा
8. जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा
9. परियोजना निदेशक, आत्मा, मधेपुरा
10. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा
11. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
12. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा
13. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा
14. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा
15. कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा
16. कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा
17. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा
18. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा
19. प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति, मधेपुरा
20. श्री हरि प्रसाद टेकरीवाल, सिंहेश्वर
21. श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, सिंहेश्वर
22. श्री विश्वनाथ प्राण सुखा, सिंहेश्वर
23. डॉ0 भूपेन्द्र ना0 यादव, मधेपुरी
24. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहेश्वर
25. प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रा0स्वा0केन्द्र, सिंहेश्वर
26. अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर
27. प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा
28. जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा

(2) कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों /सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रांरभ की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि

आज की यह बैठक महाशिवरात्रि सिंहेश्वर मेला के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आहूत की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा न्यास परिषद्, सिंहेश्वर मेला के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि मेला कैसे एवं किन तिथियों को उद्घाटन किया जाए।

(3) <u>सिंहेश्वर मेला /महोत्सव :-</u>

बैठक में न्यास परिषद् के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि महाशिवरात्रि मेला 07 मार्च, 2016 एवं सिंहेश्वर महोत्सव का उद्घाटन 08 मार्च, 2016 को किया जाए, जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सिंहेश्वर महोत्सव हेतु पूर्व में पर्यटन विभाग, बिहार, पटना से 10 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इस वर्ष 25 लाख रू0 का आवंटन हेतु अधियाचना भेजने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा)

(4) <u>सी0सी0टी0भी0 कैमरा :-</u>

जिलाधिकारी द्वारा मेला परिसर में सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगवाने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी एवं संबंधित व्यवस्थापक को दिया गया। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मेला में विधि–व्यवस्था बनाये रखने तथा नियंत्रण रखने हेतु मेला, मंदिर परिसर एवं मंदिर के गर्भगृह में <u>क्लोज सर्किट कैमरा लगाने का निर्णय</u> लिया गया। साथ ही मंदिर का बिजली वायरिंग ठीक करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया।

- श्री हरि प्रसाद टेकरीवाल द्वारा बताया गया कि मंदिर के परिसर एवं गर्भ–गृह आदि जगहों पर रात में अंधेरा पसरा रहता है, जबकि बिजली आदि की समुचित व्यवस्था है तथा मंदिर के गर्भ–गृह में दिन के समय रौशनी की व्यवस्था नहीं रहती है। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जेनरेटर के अतिरिक्त इनर्भटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित है। इस हेतु प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति को निदेश दिया गया कि मुख्य–मुख्य मंदिर में दिन के समय भी रौशनी की व्यवस्था रखी जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्र0, मधेपुरा /भवन प्रमण्डल, मधेपुरा/ प्रबंधक, सिंहेश्वर न्यास समिति, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा)

<u>*प्रस्ताव संख्या :- 01*</u>

बैठक में सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि सिंहेश्वर मेला उत्कृष्ट कोटि का लगाया जाए एवं मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत् सर्कस, सिनेमा, मैजिक, मौत का कुँआ, थियटर, बॉलीवूड के कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाए तथा जो भी तैयारी मेला के लिए होने है, उसे विभिन्न समिति में वितरित कर दिया जाए। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाने का प्रयास किया जाए। प्रबंधक, सिंहेश्वर न्यास समिति को निदेश दिया गया कि अभी से <u>बड़े सर्कस आदि से वार्ता कर लाने का प्रयास किया जाए।</u> मेला समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि मेला में विशेष रूप से बिजली, पानी एवं सफाई की व्यवस्था की जाए। यह निर्णय लिया गया कि मेला प्रांगण, मंदिर परिसर इत्यादि की सुबह शाम सफाई कराई जाए। उन्होंने मेले के प्रचार–प्रसार के लिए जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से पर्चा छपवाकर वितरण कराने एवं विभिन्न समाचार पत्रों में फोटो के साथ विज्ञापन प्रकाशित कराने का अनुरोध किया है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति, सिंहेश्वर के माध्यम से मेला के आयोजन का विज्ञापन प्रमुख दैनिक सामाचार पत्रों में

प्रकाशित कराया जाए, ताकि मेला का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। मंदिर परिसर को स्वच्छ एवं साफ रखने हेतु परिसर के अंदर लोंगो द्वारा अंदर भोजन करने पर पाबंदी लगायी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोंगो द्वारा खान-पान का कार्य धर्मशाला अथवा मंदिर परिसर के बाहर एवं मेला परिसर में किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा मेला के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन निकालने की कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन-व्यवस्थापक, सिंहेश्वर मेला समिति/अनु0पदा0, मधेपुरा /प्रभारी पदा0, राजस्व शाखा)

प्रस्ताव संख्या :- 02 (विद्युत आपूर्ति) :-

➢ उपस्थित सदस्यों द्वारा सिंहेश्वर मेला परिसर में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने एवं अतिरिक्त प्वाइंट लगाने हेतु अनुरोध किया गया।

➢ न्यास परिषद्, सिंहेश्वर मेला के सदस्यों द्वारा मेला में नियमित बिजली आपूर्ति हेतु 20 अतिरिक्त मानव बल प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला स्तर से नार्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लि0 को पत्र निर्गत करने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया।

➢ मेला परिसर एवं बाजार में पोल पर सी0एफ0एल0 लगवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया। साथ ही मेला अवधि में विशेष ट्रांसफर्मर एवं विद्युत की आपूर्ति किए जाने एवं आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया, जिसे मेला अवधि में लगाया जा सके।

➢ जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मेला में आने वाले दुकानदारों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने हेतु एक कॉउन्टर थाना के परिसर में खोल दिया जाए और लोड के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की जाए एवं उनसे राशि उसी अनुपात में प्राप्त की जाए। साथ ही मेला परिसर /दुकान में अच्छे ढ़ंग से वायरिंग कराया जाए, ताकि शॉट-सर्किट नहीं हो सके।

➢ जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मेला में कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रोस्टर बनाकर ससमय की जाए। जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी की ओर से अध्यक्ष, बिहार विद्युत बोर्ड, पटना एवं प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को मेला अवधि के लिए अतिरिक्त मेगा वाट बिजली की आपूर्ति हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व की भाँति विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर संवेदक के द्वारा मंदिर परिसर में जेनरेटर से प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। मेला कम्पाउण्ड में सभी पोल पर 80 वाट का सी0एफ0एल0 लगाने की कार्रवाई मेला संवेदक के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया।

➢ न्यास परिषद्, सिंहेश्वर मेला के सदस्य श्री हरि प्रसाद टेकरीवाल के द्वारा बताया गया कि दुर्गा चौक, नारियल विकास बोर्ड, महावीर चौक एवं प्रखण्ड परिसर में लगा हाई मास्ट लाईट लैम्प अधिष्ठापित होने के कुछ समय बाद से खराब है, जिससे मेला में आने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। अतः इसकी मरम्मति करवाते हुए लाईट जलाने का अनुरोध किया गया। उप विकास आयुक्त हाई मास्ट लाइट की मरम्मति हेतु पंचायत से कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

➢ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि मंदिर के आस-पास तथा मुख्य मार्गो में सड़क के किनारे लगे पॉल पर ब्लब आदि लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि पर्याप्त रौशनी मिल सके।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत तथा प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति को निदेशित किया गया कि सभी पोल पर ८० वाट का सी०एफ०एल० लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनु०पदा०, मधेपुरा/व्यवस्थापक, सिंहेश्वर मेला समिति /कार्य०अभि०, विद्युत प्र०, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा)

प्रस्ताव संख्या :– 03 (पेयजल आपूर्ति) :–

➢ बैठक में मेला परिसर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी समुचित संख्या में (८०) चापाकल गाड़ा जाए तथा (50) अस्थायी शौचालय का निर्माण चिन्हित स्थलों पर मेला परिसर में करने का निर्णय लिया गया। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मधेपुरा ने बताया कि मेला ग्राउंड में उपर्युक्त व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर दी जाएगी तथा रोस्टर बनाकर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि मेला अवधि के लिए बनाये गये रोस्टर में कर्मियों के नाम के साथ उनका मोबाईल नं० भी अंकित किया जाए, ताकि विशेष परिस्थिति में उनसे सम्पर्क हो सके। इस पर विशेष सतर्कता बरती जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, पी०एच०ई०डी०, मधेपुरा एक सुपरवाईजर की मेला अवधि में प्रतिनियुक्ति करें, जो चेकलिस्ट के अनुसार जांच करेंगे और प्रतिदिन प्रतिवेदन मेला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे कि सभी चापाकल, शौचालय ठीक ढ़ंग से कार्यरत है। कार्यपालक अभियंता, पी०एच०ई०डी०, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि चापाकल के पानी का बहाव मेला परिसर के विपरित दिशा में किया जाए, ताकि मेला परिसर में जल–जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

(अनुपालन–अनु०पदा०, मधेपुरा/व्यवस्थापक, सिंहेश्वर मेला समिति/कार्य०अभि०, पी०एच०ई०डी०, मधेपुरा)

प्रस्ताव संख्या :– 04 (स्वास्थ्य विभाग) :–

➢ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षो की भॉति इस वर्ष भी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा की देख–रेख में सिंहेश्वर मेला में एड्स, पल्स पोलियो, कुष्ठ निवारण, अंधापन निवारण, परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिये कैम्प लगाई जाए एवं रोगी की जांच एवं उसके उपचार की कार्रवाई की जाए। साथ ही पेंटावेलेंट संबंधी जानकारी भी दी जाए। निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी अच्छे ढंग से लगायी जाए एवं मेला परिसर में सफाई, डम्पिंग कार्य, चूना /डी०डी०टी० छिड़काव तथा पीने का पानी में ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। मेला प्रारम्भ होने की तिथि से दस दिनों तक 30 सफाई कर्मियों से सफाई का कार्य लिया जाए, तत्पश्चात् मजदूरों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई जाए। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि 10 कर्मी की प्रतिनियुक्ति सिंहेश्वर मेला में की जाए, ताकि मेला परिसर साफ–सुथरा हो सके।

➢ असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा मेला परिसर एवं मंदिर परिसर में अस्थायी औषधालय (फर्स्ट एड स्टॉल) की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा ने आश्वस्त किया कि मेला अवधि में सभी उपर्युक्त व्यवस्थाऍ ससमय सुनिश्चित कर ली जाएगी।

➢ जिलाधिकारी द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि मेला परिसर (सिंहेश्वर थाना) में एक एम्बुलेंश की प्रतिनियुक्ति की जाए, जो 24 घंटे कार्यरत रहे तथा दूसरा एम्बुलेंश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहेश्वर में रखा जाए। दोनों एम्बुलेंश सीधे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सिंहेश्वर के प्रभार में रहेगा, जो उनके निदेशानुसार कार्य करेगा।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहेश्वर /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा)

प्रस्ताव संख्या :- 05 (मेला उद्घाटन) :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षो की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 07-03-2016 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार से मेला का उद्घाटन कराने के लिए अनुरोध किया जाए। निर्णय लिया गया कि मेला उद्घाटन हेतु बड़े आकार का पंडाल बनाया जाए तथा समुचित संख्या में कुर्सियाँ लगाई जाए, ताकि लोगों को बैठने में कठिनाई न हो। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी जनसम्पर्क विभाग द्वारा मेला पंडाल एवं मंच वगैरह अच्छे ढंग से बनवाया जाए। मेला उद्घाटन के पूर्व धन्यवाद गेट (मुख्य गेट) की सफाई तथा मंच तक जाने वाली सड़क की सफाई एवं उस पर पी0एच0ई0डी0/ नगर परिषद् के टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव भी करा दी जाए।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /व्यवस्थापक, सिंहेश्वर मेला समिति / कार्य0अभि0,पी0एच0ई0डी0,मधेपुरा /कार्य0पदा0,नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदा0)

प्रस्ताव संख्या :- 06 (विधि-व्यवस्था) :-

➢ मेला में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु गत वर्ष की व्यवस्था से सदस्यों को अवगत कराया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा गश्ती कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वाहन अधियाचित कर वाहन (ईंधन सहित) अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध करा देगें। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिंहेश्वर मेला के अवसर पर बाहर से आने वाले पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल के ठहराव हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी /सार्जेन्ट मेजर /थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर, सिंहेश्वर कला भवन /पंचायत सरकार भवन को अधियाचित /आरक्षित करेंगे। निर्णय लिया गया कि महिला पुलिस को राजकिशोर धर्मशाला तथा अन्य पुरूष पुलिस को प्रखंड परिसर स्थित कला भवन तथा नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन में रखा जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि पुलिस बल के ठहराव स्थल पर पर्याप्त संख्या में चापाकल, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा इस कार्य हेतु उनकी सहायता करेंगे।

➢ प्रशिक्षण आयुक्त, स्काउट एण्ड गाईड द्वारा बताया गया कि 100 स्काउट एवं गाइड के ठहरने की व्यवस्था अलग-अलग पूर्व की ही तरह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सिंहेश्वर एवं कन्या मध्य विद्यालय, सिंहेश्वर को अधियाचित /आरक्षित कर किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा उपरोक्त सभी व्यवस्था मेला के पूर्व ही सुनिश्चित कर

संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कर देंगे एवं ठहराव स्थल पर शौचालय, चापाकल एवं रौशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि सभी व्यवस्था ससमय कर ली जाएगी।

- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए मेले में दो-तीन वॉच टॉवर बनाया जाए, ताकि पुलिस द्वारा भीड़ पर नजर रखी जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि मेला में विधि-व्यवस्था हेतु पुलिस बल की कमी को देखते हुए स्वयंसेवकों (Volunteers) की भी प्रतिनियुक्ति हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मेले को सेक्टर में तथा दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को पालीवार प्रतिनियुक्ति करने से विधि-व्यवस्था चुस्त एवं दुरूस्त रहती है। जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्राप्त आवंटन से आवश्यकतानुसार अस्थायी वाच टावर का निर्माण कराया जाए, ताकि उस पर पुलिस बल की तैनाती की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मेले में प्रतिनियुक्त पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जाए कि वे अनुशासित रहें और कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं मिले।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /व्यवस्थापक, सिंहेश्वर मेला समिति / अनुमण्डल पुलिस पदा0/सार्जेन्ट मैजर /थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर/कार्य0अभि0,पी0एच0ई0डी0,मधेपुरा)

__प्रस्ताव संख्या :- 07 (यातायात) :-__

- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मेला अवधि में सिंहेश्वर में काफी सड़क जाम हो जाती है, अतः सड़क पर सब्जी वाले एवं फलवालों को मेला अवधि में हटा दिया जाए, ताकि जाम नहीं हो। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा इसे सुनिश्चित करायेंगे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेला अवधि तक के लिए सभी आने-जाने वाली गाड़ियों को मधेपुरा की ओर से नारियल विकास बोर्ड तक तथा पिपरा-सुपौल से आने वाले गाड़ियों के लिए दुर्गा मंदिर के नजदीक गाड़ियों की पार्किंग सुनिश्चित करायी जाए, ताकि मेले में अनावश्यक गाड़ियों का परिचालन /भीड़ न हो।

- मंदिर न्यास परिसर के सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि पूर्व वर्षों की भॉति इस वर्ष भी सिंहेश्वर मेला के अवसर पर मधेपुरा तक अतिरिक्त रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु मंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर को जिलाधिकारी, मधेपुरा के स्तर से अनुरोध पत्र भेजा जाए। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सरकारी बसों के परिचालन हेतु सचिव, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को भी अतिरिक्त बसों के परिचालन हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाए। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर वाहनों के ठहराव की अच्छी व्यवस्था गत वर्ष की भांति सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि मेला अवधि तक मधेपुरा जिला में चलने वाले वाहनों को भाया सिंहेश्वर मेला परिचालन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन पर किराया चार्ट भी टंगवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यात्रियों से अधिक राशि नहीं वसूला जा सके। जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मंदिर में /मेला में आने वाले वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए और उसे ठेका पर देकर दर निर्धारण कर व्यस्थित कराया जाए।

(अनुपालन-अनु0पदा0/ व्यवस्थापक,सिंहेश्वर मेला समिति*/थानाध्यक्ष,सिंहेश्वर/जिला परि0 पदा0)*

__प्रस्ताव संख्या :- 08 (कन्ट्रोल रूम) :-__